Office : 0291-2545066
Secy. : 0291-2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR – 342 001
e-mail : secretary@ barcouncilofrajasthan.org
Web Site : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No BCR/ 5796 **Date : 29/07/2012**

प्रेस विज्ञप्ति

बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक आज दिनांक 29.07.2012 (रविवार) को बार कौंसिल सभागार, जोधपुर में श्री इन्द्रराज सैनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक मे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद सिंगारिया सहित कुल 17 सदस्यों ने भाग लिया ।

साधारण सभा ने जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा एडवोकेटस भवन निर्माण हेतु बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को भूमि आवंटित किए जाने पर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया तथा साथ ही साथ श्री गिरधारी सिंह बाफना, महाअधिवक्ता, जयपुर का भी इस हेतु किए गए प्रयासों की सराहना कर उनका आभार प्रकट किया हैं । जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा एडवोकेट भवन हेतु करीब 1040 वर्गमीटर भूमि लाल कोठी योजना, जयपुर में निशुल्क आवंटित की गई हैं, इस हेतु निर्धारित लीज राशि जल्द ही जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में जमा कराने हेतु निर्णय भी निर्णय लिया गया तथा साथ ही इसके चारों तरफ चारदीवारी बनवाने हेतु बॉर कौंसिल के फण्ड से दस लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं ।

साधारण सभा ने यह प्रस्ताव पारित कर एडवोकेट भवन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से जोधपुर में भूमि आवंटित कराने हेतु एक समिति का गठन किया गया हैं जिसमें श्री राजेश पॅवार, श्री मनोज कुमार गर्ग, श्री रणजीत जोशी, श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली व श्री रामप्रसाद सिंगारिया होंगे ।

साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 'Renewal of Certificate of Practice Rules, 2006' को आज दिनांक 29 जुलाई, 2012 से पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया । इन नियमों के अर्न्तगत प्रत्येक अधिवक्ता को 5 वर्श की वकालत अवधि पूर्ण होने पर अपने पंजीयन को नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा तथा नवीनीकरण हेतु रूपए 200/— नवीनीकरण शुल्क देय होगा तथा नवीनीकरण हेतु अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2012 रखी गई हैं ।

साधारण सभा ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोश अधिनियम में हुए संशोधनों पर अपनी गहरी प्रसन्नता प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे अधिवक्ताओं के कल्याण एवं हितार्थ बताया । साधारण सभा ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय से राज्य में स्थित सभी न्यायालयों को न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वकलातनामों पर रूपए 25/— का अधिवक्ता कल्याण कोश का टिकट लगे होने एवं बिना टिकट लगे वकालतनामों को स्वीकार न किए जाने बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु निवेदन करने का निर्णय लिया गया । साधारण सभा ने राज्य में स्थित अधिकरणों, राजस्व न्यायालयों एवं कुछ न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले वकालतनामों में अधिवक्ता कल्याण कोश का टिकट नहीं लगाए जाने एवं बिना टिकट लगे वकालतनामें पीठासनीन अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाने पर अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की इस सम्बंध में संभागीय स्तर पर बार कौंसिल के सदस्यों की समितियों का गठन करने का निर्णय लिया, यह समितियॉ न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वकालतनामों पर अधिवक्ता कल्याण कोश का टिकट चस्पा किए जा रहे हैं या नहीं इस सम्बंध में जॉच कर अपनी रिर्पोटस बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोश में जिन सदस्यों की सदस्यता पूर्व में कोश में अपना नियमित अंशदान जमा नहीं कराने पर निलम्बित कर दी गई थी उन्हें पुनः बहाल करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था । साधारण सभा ने इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया हैं कि इन निलम्बित सदस्यों को एक और अवसर दिया जावें तथा यह निर्णय लिया गया कि जो निलम्बित सदस्यगण दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक अपनी सदस्यता बहाल करने हेतु आवेदन करेंगे उनकी राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोश में पूर्व की समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पुनः सदस्यता बहाल कर दी जाएगी ।

Office : 0291-2545066
Secy. : 0291-2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR – 342 001
e-mail : secretary@ barcouncilofrajasthan.org
Web Site : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No BCR/ 5796 **Date : 29/07/2012**

साधारण सभा ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्माणाधीन नए भवन परिसर में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान हेतु भुमि आवंटित कर भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई स्वीकृति पर एक प्रस्ताव पारित कर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय का हार्दिक आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया ।

साधारण सभा ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान एवं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोश की वार्शिक अंकेक्षण रिपोर्ट 2011–2012 का अनुमोदन कर अपनी मोहर लगा दी ।

साधारण सभा द्वारा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की वार्शिक बजट 2012–2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई ।

साधारण सभा ने राज्य के अधिवक्ताओं के द्वारा “Higher Education and Research Bill, 2011 and Other Related Draft Bills” विरोध स्वरूप बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के आहवान पर 11 एवं 12 जुलाई, 2012 को कार्य स्थगित कर अपनी एकजुटता प्रकट करने पर अपनी सराहना व्यक्त की हैं तथा इन बिलों को अधिवक्ताओं के हितों के विरूद्व बताते हुए केन्द्र सरकार से इन्हें वापिस लेने की मॉग की ।

साधारण सभा द्वारा श्री महेश चन्द्र गुप्ता एवं श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली की सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया जो “Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Bill, 2011” का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेशित करेगी ।

साधारण सभा ने बार एसोसिशएन सिवाणा जिला बाडमेर अपनी मान्यता प्रदान की ।

आज दिनांक 29.07.2012 को अधिवक्ता कल्याण कोश की न्यासी समिति की भी बैठक हुई जिसमें अधिवक्ता कल्याण कोश से अधिवक्ताओं के मृत्युउपरांत उनके आश्रितों को 18,06,500/– रूपए एवं अधिवक्ताओं की बीमारी पर 6,46,500/– रूपए स्वीकृत किए गए । अधिवक्ता कल्याण कोश अधिनियम में हुए संशोधनों के लागू होने के पश्चात्त जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई उन्हें अधिनियम के नए संशोधनों के अनुसार न्यूनतम एक लाख रूपए की जगह दो लाख पचास हजार रूपए स्वीकृत किए गए, ऐसे कुल चार अधिवक्ता हैं जिन्हें मृत्युउपरांत उनके आश्रितो को उक्त राशि स्वीकृत की गई हैं ।

-sd-
राजेन्द्र पाल मलिक
सचिव
बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर

श्रीमान सम्पादक महोदय

....

वास्ते सभी संस्करणों में सादर प्रकाशनार्थ